(40)

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी M/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3837

जितेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री इन्दरसिंह राजपूत आयु 39 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम आटासेमर तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

प्रहलाद पुत्र सरूआ जाति हरिजन आयु 40 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम आटासेमर तहसील गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 12-10-2017 को ... 12-10-17 ... कोर्ट ... ग्वालियर

पेशी दिनांक 6-11-17

6/11/17

12/10/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.10.17 जिसे प्रकरण क्रमांक 111/अ–74/16–17 (व मामले जांच आवेदन) में तहसीलदार गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र. ने पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक प्रहलाद पुत्र श्री सरूआ निवासी ग्राम आटासेमर तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि जो पटवारी हल्का पूर्व नम्बर 41 वर्तमान नम्बर 68 के खसरा नम्बर 218/2 रकवा 0.700 हैक्टेयर को विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से रुपये 82600/– में आवेदक जितेन्द्र राजपूत पुत्र इन्दरसिंह राजपूत ने क्रय किया था तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। ऋण पुस्तिका की प्रति निगरानी के साथ संलग्न

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3837 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण कार्यवाही रोकी जाना संभव नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायिक है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	